उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-1434/ग्यारह-2-23-9(47)/17-टी.सी.248-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(304)-2023

लखनऊः दिनांकः 31 अक्टूबर, 2023

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 54 की उप धारा (3) के परन्तुक के खण्ड (दो) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा, अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-850/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(17)-2017 दिनांक 30-06-2017, में निम्नलिखित अग्रतर संशोधन करती हैं, अर्थात् :-

पूर्वोक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 6क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां बढ़ा दी जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)
"6कक	5605	धात्विक पॉलिएस्टर फिल्म/प्लास्टिक फिल्म से बना इमीटेशन ज़री धागा या सूत स्पष्टीकरणः यह प्रविष्टि केवल पॉलिएस्टर फिल्म/प्लास्टिक फिल्म पर इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय के लिए लागू होगी।";

2. यह अधिसूचना दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

(नितिन रमेश गोकर्ण)

अपर मुख्य सचिव